क्रम-संख्या–280

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 20 नवम्बर, 1976

कार्तिक 29, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 4906/सत्रह-वि-1—122-76

लखनऊ, 20 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976 पर दिनांक 17 नवम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 1976]

(जो उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966 में नई धारा 26-क का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढा दी जायगी, और 25 जून, 1976 से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्:--

प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के लिए सर्वव्यापी सदस्यता

"26-क--(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अधीन सदस्य बनाये जाने के लिए अर्ह है और किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति की सदस्यता के लिए नियत रीति से प्रार्थना-पत्र देता है तो यह समझा जायगा कि वह समिति के कार्यालय में ऐसे प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से ऐसी समिति का सदस्य बनाया गया है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन उक्त व्यक्ति के सदस्य बनाये जाने के दिनांक के पश्चात् किसी समय यह पता लगे कि सम्बद्ध व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन ऐसी समिति का सदस्य होने के लिए अर्ह नहीं है, तो निबन्धक इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, ऐसा पता लगने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर या तो स्वतः या सम्बद्ध समिति के प्रार्थना-पत्र पर ऐसे व्यक्ति को कारण बताने का नोटिस दे सकता है कि उसे समिति की सदस्यता से क्यों न हटा दिया जाय, और ऐसा व्यक्ति निबन्धक के इस निमित्त दिये गये आदेश पर, आदेश के दिनांक से, ऐसी समिति का सदस्य न रह जायेगा।"

धारा 29 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 29 में--

(एक) उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जायगा और 25 जून, 1976 से निकाला गया समझा जायगा।

(दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, और 16 फरवरी, 1976 से रखी गयी समझी जायगी :--

"(4) (क)--जहां, किसी कारण से, चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है अथवा नहीं हो सका वहां इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, प्रबन्ध कमेटी ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्यमान नहीं रह जायेगी।

(ख) निबन्धक, ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने तक समिति के कार्यकलापों का, इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध करने के लिए प्रशासक नियुक्त करेगा और निबन्धक को समय-समय पर प्रशासक को बदलने की शक्ति होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक इस उपधारा के अधीन कोई प्रशासक नियुक्त न किया जाय तब तक समिति का, यथास्थिति, सचिव या प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध कमेटी के केवल साम्प्रतिक कर्त्तव्यों का प्रभारी होगा।

स्पष्टीकरण:--जहां बहिर्गामी कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किये गये हों या घोषित न किये जा सके हों, वहां यह समझा जायगा कि इस उपधारा के अर्न्तगत कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ है।"

(तीन) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और 16 फरवरी, 1976 से रखी गयी समझी जायगी अर्थात्:--

"(6) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के दिनांक से अथवा अपनी नियुक्ति के दिनांक से, जो भी पश्चातवर्ती हो, एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार समिति का प्रबन्ध उससे प्राप्त करने के लिए, प्रबन्ध-कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगा।

स्पष्टीकरण:--उपधारा (4) के अधीन प्रशासक की नियुक्ति के पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रारम्भ हो जाने पर भी ऐसी नियुक्ति के पश्चात् निर्वाचन की नई प्रक्रिया प्रारम्भ की जायगी।"

(चार) उपधारा (7) निकाल दी जायगी और 16 फरवरी, 1976 से निकाल दी गई समझी जायगी

धारा 34 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रारम्भ में आये हुये शब्द "अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि" के स्थान पर शब्द "अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में किसी बात के होते हुए भी" रख दिये जायेंगे और 17 जनवरी, 1972 से रखे गये समझे जायेंगे।

369

5--मूल अधिनियम के अध्याय 11 के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय बढ़ा दिया जायगा और 28 अगस्त, 1976 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्:-- नये अध्याय 11-क का बढ़ाया जाना

"अध्याय 11-क

बीमाकृत सहकारी बैंक

90-क-- इस अध्याय म 'बीमाकृत सहकारी बैंक' का तात्पर्य डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन किसी बीमाकृत सहकारी बैंक से है। निर्वचन

90-ख-- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित उपबन्ध प्रत्येक बीमाकृत सहकारी बैंक पर लागू होंगे, अर्थात्:-- बीमाकृत सहकारी बैंकों पर लागू होने वाले विशेष उपबन्ध

(एक) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प को स्वीकृत करने वाला कोई आदेश निबन्धक द्वारा रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति मात्र से ही दिया जा सकता है।

(दो) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समापन का आदेश उक्त अधिनियम की धारा 13-डी में निर्दिष्ट परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दिया जायगा।

(तीन) यदि रिजर्व बैंक की यह राय हो कि लोक हित में या किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के कार्य-कलाप की ऐसी रीति से जो निक्षेपकों के हित के विरुद्ध हो, संचालन रोकने के लिये या ऐसे सहकारी बैंक के समुचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है, तो वह निबन्धक से कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक उतनी अवधि के लिये, जितनी रिजर्व बैंक के द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे सहकारी बैंक के प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय के (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) अवक्रमण का और उसके लिये प्रशासक की नियुक्ति का आदेश देने की अपेक्षा कर सकता है और निबन्धक तद्नुसार आदेश देगा और धारा 35 तथा 36 के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानों आदेश धारा 35 के अधीन दिये गये हों, किन्तु प्रबन्ध कमेटी को सुनवाई का अवसर देने और समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने की उस धारा की अपेक्षायें लागू नहीं होंगी।

(चार) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के प्रबन्ध कमेटी के सभापति या सदस्यों द्वारा धारा 35-क की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपना-अपना पद रिक्त करने की दशा में रिजर्व बैंक निबन्धक से ऐसे बैंक के कार्य-कलाप का प्रबन्ध करने के लिये ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है जैसी वह उचित समझे और निबन्धक तद्नुसार आदेश देगा, और धारा 35-क के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानों आदेश उस धारा के अधीन दिया गया हो।

(पांच) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प को स्वीकृत करने वाले या रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या अपेक्षा पर ऐसे बैंक के प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय (चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय) के अवक्रमण तथा उसके प्रशासक की नियुक्ति के आदेश पर किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(छः) यथा स्थिति, परिसमापक या बीमाकृत सहकारी बैंक या अन्तरिती बैंक उक्त अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित धनराशि डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन को उक्त धारा में निर्दिष्ट परिस्थितियों में और सीमा तक और रीति से प्रतिसंदाय करने के लिये बाध्य होगा।"

6--किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी,-- वैधीकरण

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया या दिये जाने के लिए तात्पर्यित कोई आदेश उसी प्रकार विधिमान्य समझा जायगा मानो इस अधिनियम द्वारा उक्त उपधारा में किये गये संशोधन सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

(2) निबन्धक इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार कोई ऐसा नया आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

(3) राज्य सरकार के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 34 के अधीन किया गया या किये जाने के लिये किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के समापति का नाम-निर्देशन, विधिमान्यत: किया गया समझा जायगा मानों इस अधिनियम द्वारा उक्त धारा में किया गया संशोधन सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

नियम 445 का परिणामी संशोधन

7—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 445 में प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जायगा और 16 फरवरी, 1976 से निकाला गया समझा जायगा ।

निरसन तथा अपवाद

8 —(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम क तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही उसी प्रकार समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थ ।

No. 4906/XVII-V—1-122-76

Dated Lucknow, November 20, 1976

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan Tatha Vaidhikaran) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 40 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 20, 1976:

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 40 OF 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 and to provide for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment and Validation) Act, 1976.

Insertion of new section 26-A in U.P. Act no. 11 of 1966.

2. *After* section 26 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (hereinafter referred to as the principal Act), the following section shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* with effect from June 25, 1976, namely :—

"26-A. (1) Any individual who is qualified for admission to membership under the provision of this Act, the rules and the bye-laws and makes an application in the manner prescribed, for membership of a primary agricultural credit society shall be deemed to have been admitted to the membership of such society from the date of receipt of such application in the office of the society.

Universal membership for primary agricultural credit societies.

(2) If at any time after the date of admission of the individual under sub-section (1), it is discovered that the individual concerned is not qualified, under this Act, the rules or the bye-laws, to become a member of such society, the Registrar may, notwithstanding anything contained in this Act, either *suo motu* or on the application of the concerned society within a period of three months from the date of such discovery give notice to such individual to show cause why he should not be removed from the membership of the society, and upon an order of the Registrar made in this behalf such individual shall, from the date of the order, cease to be the member of such society."

Amendment of section 29.

3. In section 29 of the principal Act,—

(i) in sub-section (2), the proviso shall be *omitted* and be deemed to have been *omitted* with effect from June 25, 1976.

(ii) *for* sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from February 16, 1976 :—

"(4) (*a*) Where, for any reason whatsoever, the election of the elected members of the Committee of Management has not taken place or could not take place before expiry of the term of elected members, the Committee of Management shall, notwithstanding anything to the contrary in this Act or the rules, or the bye-laws of the Society, cease to exist on the expiry of such term.

(*b*) On or as soon as may be after the expiry of such term, the Registrar shall appoint an Administrator for the management of the affairs of the society until the reconstitution of the Committee of Management in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws of the society, and the Registrar shall have power to change the Administrator from time to time :

Provided that so long as no Administrator is appointed under this sub-section, the Secretary or the Managing Director, as the case may be, of the society shall be in charge only of the current duties of the Committee of Management.

Explanation—Where results of the election of members of the Committee of Management have not been or could not be declared, for any reason whatsoever, before the expiry of the term of the elected members of the outgoing Committee, it shall be deemed that the election of the elected members of the Committee has not taken place within the meaning of this sub-section ;";

(iii) *for* sub-section (6), the following sub-section shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted* with effect from February 16, 1976, namely :—

"(6) The Administrator appointed under sub-section (4) shall as soon as may be, but not later than the expiry of one year from the date of commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment and Validation) Act, 1976 or from the date of his appointment, whichever is later, arrange for the reconstitution of the Committee of Management in accordance with this Act, the rules and the bye-laws of the society to take over the management of the society from him.

Explanation—Notwithstanding that the process of election may have commenced before the appointment of Administrator under sub-section (4), a fresh process of election shall be commenced after such appointment."

(iv) sub-section (7) shall be *omitted* and be deemed to have been *omitted* with effect from February 16, 1976.

Amendment of section 34.

4. In section 34 of the principal Act, in sub-section (1), in the second proviso, *for* the words "Provided further that" occurring in the beginning, the words "Provided further that notwithstanding anything contained in the preceding proviso," shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from January 17, 1972.

Insertion of new Chapter XI-A.

5. *After* Chapter XI of the principal Act, the following new Chapter shall be *inserted*, and be deemed to have been *inserted* with effect from August 28, 1976, namely :—

"CHAPTER XI-A

Insured Co-operative Banks

Interpretation. 90-A. In this Chapter 'insured co-operative bank' means a co-operative bank insured under the Deposit Insurance Corporation Act, 1961, hereinafter in this Chapter referred to as the said Act.

no. 1961.

Special provisions applicable to Insured Co-operative Banks.

90-B. Notwithstanding anything contained in this Act, the following provisions shall apply to every insured co-operative bank, namely :—

(i) an order sanctioning a scheme or resolution for the amalgamation or merger or division or winding up of an insured co-operative bank may be made by the Registrar only with the previous sanction in writing of the Reserve Bank ;

(ii) an order for the winding up of an insured co-operative bank shall be made under the provisions of this Act if so required by the Reserve Bank in the circumstances referred to in the section 13-D of the said Act ;

(iii) if the Reserve Bank is of opinion that it is necessary so to do in the public interest or for preventing the affairs of an insured co-operative bank being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors or for securing the proper management of such co-operative bank, it may require the Registrar to pass an order for supersession of the Committee of Management or other managing body (by whatever name called) of such co-operative bank and to appoint an administrator therefor for such period or periods not exceeding five years in the aggregate as may, from time to time, be specified by the Reserve Bank and the Registrar shall pass an order accordingly and the remaining provisions of sections 35 and 36 shall apply in relation to such an order as if it were an order made under section 35, but the requirements of that section to afford the Committee of Management an opportunity of being heard and to obtain the opinion of the general body of the society shall not be applicable ;

(iv) in the event of the Chairman and members of the Committee of Management of an insured co-operative bank vacating their respective offices under sub-section (1) or sub-section (2) of section 35-A, the Reserve Bank may require the Registrar to make such arrangements as it thinks proper for the management of the affairs of such bank and the Registrar shall pass an order accordingly, and the remaining provisions of section 35-A shall apply in relation to such an order as if it were an order made under that section ;

(v) an order sanctioning a scheme of or the resolution for amalgamation or merger or the division or winding up of an insured co-operative bank or of the supersession of the Committee of Management or other managing bodies (by whatever name called) of such bank and the appointment of an administrator thereof made with the previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank shall not be called in question in any manner ; and

(vi) the liquidator or the insured co-operative bank or the transferee bank, as the case may be, shall be under an obligation to repay to the Deposit Insurance Corporation the sums mentioned in section 21 of the said Act in the circumstances and to the extent and in the manner referred to in that section."

Validation.

6. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court,—

(i) any order passed or purporting to have been passed before the commencement of this Act, by the Registrar under sub-section (4) of section 29 of the principal Act, shall be deemed to be valid as if the amendments made in the said sub-section by this Act were in force at all material times ;

(ii) the Registrar may pass any such fresh order in accordance with the provisions of the said section 29 as amended by this Act as he may think fit ;

(iii) every nomination of Chairman of the Committee of Management of a Society made or purporting to be made by the State Government under section 34 of the principal Act, shall be deemed to be validly made as

373

if the amendment made in the said section by this Act, were in force at all material times.

Consequential amendment to rule 445.

7. In rule 445 of Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules, 1968 the proviso shall be *omitted* and be deemed to have been *omitted* with effect from February 16, 1976.

Repeal and savings.

8. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment and Validation) Ordinance, 1976 and the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 1976, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 367 सा०(विधा०)—1976—750 (मै०) ।